

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.1(1)साप्र/2/2014

जयपुर, दिनांक 12 SEP 2014

- आदेश :-

श्री एन. मोरिस बाबू आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एन्टी हुमन ट्राफिकिंग, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 13/2005 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 30.9.2018 है, के आधार पर उनके निवास हेतु इस विभाग के आदेश संख्या प. 1 (1) साप्र/2/2014 दिनांक 24.6.2014 के द्वारा आवंटित किया गया राजकीय आवास संख्या 1/ए/1, प्रथम तल बहुमजिला गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 1/46, गांधीनगर जयपुर का "रिक्त होने की प्रत्याशा" में नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है : -

शर्तः -

1. आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात् आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(गा)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात् उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. श्री एन. मोरिस बाबू आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एन्टी हमन ट्राफिकिंग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
7. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. श्री तपेश पंवार, सेवानिवृत्त, आई.ए.एस., नेवासी 1/46 गांधीनगर, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, साठनिविवि/जन स्वास्थ्याभिविवि/जयपुर विविविनिगम लिंग, गांधीनगर जयपुर।
12. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
15. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
16. सहायक प्रोग्रामर सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग को -कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
17. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
18. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
19. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र / 2 / 2014

जयपुर, दिनांक 11/9/17

राजस्थान

श्री ठण्डी लाल मीना, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानंदेशक पुलेस, एन्टो हुमन ट्राफिकेंग, जयपुर जनका प्रथम श्रेणी का वारयता सख्ता 8/2011 है तथा जेनको सेवानिवृत्ति दिनाक 31.1.2017 है, के आधार पर उनक नवास हत् राजकाय आवास सख्ता डा-606 स्वतंत्र, गांधीनगर, जयपुर का अन्यमानुसार किराया भुगतान पर नम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवटन किया जाता है :—

राजस्थान



- आवास का कब्जा आवास आवटन ताथ से 8 दिवस में लिया जायगा। इस अवधि में कब्जा न लेन पर आवटन आदश स्वतः अनरस्त समझा जावगा।
- उक्त आवास का कराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराय का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जान पर इस विभाग का सूचित करना होगा तथा कायमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रक्त करना होगा।
- सेवानिवृत्त उपरान्त आवास रक्त करना होगा।
- स्वय तथा पाल/बच्चा के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जान को स्थिति में इस विभाग का सूचित करना होगा।
- चूंक उक्त आधिकारा का राजकाय आवास का आवटन किया जा चुका है। अतः राजकाय आवास आवटन नियम, 1958 के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवटन स्वाकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह को समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनो मूल स्थान में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो राक दद्या जायगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवटो के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने को ताथ से 8 दिवस में लिया जायगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान कराया भत्ता बन्द करने के आदश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवान का श्रम कराव।
- आवटो का आवाटत राजकाय आवास का कब्जा लेन से पूर्व संबोधेत अधिकारी आभयन्ता/आवासाय आभयन्ता का यह धोषणा करनी होगी:-
 - आवदन प्रस्तुत करन के पश्चात आवाटत राजकाय आवास क कब्जा लेने तक को अवधि में आवटो अनरन्तर जयपुर में हो पदस्थापेत रहे हैं।
 - आवदन प्रस्तुत करन का ताथ से आवाटेत राजकाय आवास क कब्जा लेने तक को अवधि में आवटो के द्वारा काइ स्वय/पाल व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य क नाम से जयपुर में निजो आवास नौमित नहीं किया गया है।
- उपराक्त के आतारक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारा अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल को आज्ञा से,

(राजीव जैन)
सयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकेत का सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
3. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-1) विभाग, जयपुर।
6. श्री ठण्डी लाल मीना, आई.पी.एस., अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एन्टी हमन ट्राफिकिंग, जयपुर।
7. श्री ठण्डी लाल मोणा, आई.पी.एस., ई-15, गांधीनगर, जयपुर-कृपया आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर सूचित करावें।
8. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
9. मुख्य अभियन्ता (भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
11. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा०अभि०वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर।
12. संबोधेत विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
13. सम्बन्धित अधिकारीगण।
14. निदेशक/उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
१५. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
17. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
18. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
19. प्रबन्धक विश्राम भवन, जयपुर।
20. प्रबन्धक ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर।
21. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
22. रक्षितं पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव